

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 अगस्त 2013—श्रावण 23, शक 1935

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. एफ 01-12-2005-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा शाजापुर जिले की सीमाओं को उसमें से उसकी तहसील आगर, बड़ोद, सुसनेर तथा नलखेड़ा को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा इन तहसीलों को समाविष्ट करते हुए एक नवीन जिला आगर-मालवा का सृजन दिनांक 16 अगस्त, 2013 से करती है। उक्त जिले का मुख्यालय आगर में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013

पृ. क्र. एफ 01-12-2005-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 01-12-2005-सात-शा. 6, दिनांक 14 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 14th August 2013

No. F 1-12-2005-VII-06.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of district Shajapur by excluding there from its tehsils Agar, Barod, Susner and Nalkhera and create a **new district Agar-Malwa** with effect from 16th August, 2013 by comprising these tehsils. The headquarter of the said district shall be at Agar.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. CHATURVEDI, Principal Secy.